संख्या:58/2022/164/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 फरवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र- खैर के ग्राम बॉकनेर में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-37/2020/508/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1190.18 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 476.07 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-129/2021/1263/35-4-2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 119.02 लाख तथा शासनादेश संख्या-218/2021/1887/35-4-2021 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 297.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा पत्र सं0-133/त्व0आ0वि0/2021-22 दिनांक 06 जनवरी,2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त रू. 892.63 लाख की धनराशि का पूर्ण उपभोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1190.18 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 892.63 लाख को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में अनुमन्य रू. 238.04 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख चार हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त	चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-खैर के ग्राम बॉकनेर, अलीगढ़ का भवन निर्माण कार्य	1190.18	892.63	238.04

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2020, दिनांक 18 अगस्त,2021 एवं दिनांक 09 नवम्बर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
5- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:58/2022/164(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।
15- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in